

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम	
--------	------------	--

18¹²/₂₄ वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी ~~.....~~ प्रथमे है। गतानुसार दिनांक..... को पेश हो

22¹²/₂₄ पत्रावली पेश हुई तदनुसार

 दिनांक 18-12-24

6¹²/₂₄ पत्रावली पेश हुई। गाडी व गाडी वकील उपस्थित नहीं, प्रकरण के गाडी व गाडी वकील का कार्रवाई के माध्यम से समाप्त होने की उम्मीद है। गाडी वकील प्रकरण के गाडी व गाडी वकील कार्य प्रलम्बित रखने के रुचि नहीं ले रहे हैं। गाडी वकील 11/12/2022 प्रवा काउट वनाम कामवीर व गाडी वकील के कानून के अन्तर्गत कार्य प्रलम्बित किया जा रहा है। पत्रावली के माध्यम से गाडी वकील को जमानत से मुक्त करके उसे गैरजमानत में छोड़ा जाये।

